<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 33/2025 दायर दिनांकः 09.04.2025

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पांचाल आयु 57 वर्ष पुत्र हीरा उर्फ हीरालाल जाति लुहार निवासी बम्बोरी हाल मुकाम मोहनलाल सुखाडिया आवासीय योजना गिरधरपूरा कोटा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनाकः 28.08.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में आराजी खाता संख्या 373 का खसरा नं. 254 का रकबा 0.44 है0, ख.नं. 255 का रकबा 0.39 है0, ख.न. 256 का रकबा 0.44 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.27 हैक्टर आराजी हिस्सा 1/18 प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पांचाल के स्थान पर दानमल दर्ज हो गया है जो कि गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार पांचाल है जो कि उसके आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आदि दस्तावेजो में भी राजेन्द्र कुमार पांचाल नाम ही दर्ज है। प्रार्थी के उक्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर अपना नाम दानमल के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पांचाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दानमल

कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। प्रार्थना पत्र पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर अपना नाम दानमल के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पांचाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल बमोरी पटवार हल्का बमोरी तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी ग्राम/माल बमोरी की आराजी खाता संख्या खाता संख्या 373 का खसरा न. 254 का रकबा 0.44 है., ख.न. 255 का रकबा 0.39 है., ख.न. 256 का रकबा 0.44 है. कुल किता 3 का रकबा 1.27 हैक्टर आराजी में प्रार्थी का नाम दानमल पुत्र हीरा के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पांचाल पुत्र हीरालाल दर्ज करने या विकल्प में दानमल उर्फ़ राजेन्द्र कुमार पांचाल पुत्र हीरा उर्फ़ हीरालाल दर्ज के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/1334 दिनांक 05.05.2025 से रिपोर्ट पेश की गई।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 राजेन्द्र कुमार पांचाल पुत्र श्री हीरा उर्फ हीरालाल जाति लुहार निवासी बमोरी हाल मुकाम मोहनलाल सुखाडिया आवासीय योजना गिरधरपूरा कोटा, Pw2 चौथमल पुत्र हीरा उर्फ हीरालाल जाति लुहार निवासी बमोरी हाल मुकाम कोटा व Pw3 रूपचन्द पुत्र हीरा उर्फ हीरालाल जाति लुहार निवासी बमोरी हाल मुकाम कोटा के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बमोरी तहसील अटरू सम्वत 2070–73 खाता संख्या 373, आधार कार्ड,

मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बमोरी तहसील अटरू सम्वत 2070–73 खाता संख्या 373 में सहखातेदार प्रार्थी के सगे भाई चौथमल पुत्र हीरा व रूपचन्द पुत्र हीरा ने दानमल का नाम राजेन्द्र कुमार पांचाल होना स्वीकार किया है तथा स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किए।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू में आराजी खाता संख्या 373 का खसरा नं. 254 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 255 रकबा 0.39 है0 व खसरा नं. 256 रकबा 0.44 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 हैक्टर आराजी में सह खातेदार दानमल पुत्र हीरा के स्थान पर दानमल पुत्र हीरालाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू में आराजी खाता संख्या 373 का खसरा नं. 254 रकबा 0.44 है0, खसरा नं. 255 रकबा 0.39 है0 व खसरा नं. 256 रकबा 0.44 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 हैक्टर आराजी में सह खातेदार दानमल पुत्र हीरा के स्थान पर दानमल पुत्र हीरालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक बारां सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा अटरू को भिजवायी जावे। प्रार्थी स्वयं अपने स्तर पर आदेश की एक प्रति शाखा प्रबन्धक शाखा प्रबन्धक बारां सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा अटरू में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां